अवन्तिका

स्थापित २२ सितम्बर, १९६२

संविधान

- अवन्तिका -

नाम

इस संस्था का नाम अवन्तिका होगा ।

कार्यालय

कलकत्ता के किसी उपयुक्त स्थान में होगा, अन्यत्र भी साधारण सभा की अनुमति से शाखा खोली जा सकती है ।

उद्देश्य

१) राजनैतिक एवं धार्मिक:--

राजनैतिक एवं धार्मिक दलबन्दी से पृथक रहना ।

२) साहित्य एवं कला का निर्माण:--

(क) विद्वानों के भाषण, कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन, एवं वाद-विवाद सभा का आयोजन ।

(ख) संगीत तथा नृत्य कला के विशेष आयोजन तथा मौलिक नाटक द्वारा साहित्यिक विचारों का प्रसार तथा मनोरंजन ।

(ग) शिक्षण संस्थाओं का निर्माण, संचालन व समान उद्देश्य वाली संस्थाओं की सहायता ।

३) सामाजिक उत्थान:--

समाज की रूढ़िवादी व्यवस्था में सुधार के निमित्त आवश्यक प्रयत्न करना ।

४) स्वास्थ्य सेवा कार्य:--

(क) सर्व-साधारण के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए दातव्य औषधालय का संचालन व अन्य कार्य करना ।

(ख) समय समय पर व्यायाम प्रदर्शन द्वारा जनता में उसकी रुचि बढ़ाना ।

(ग) स्वयंसेवक दल द्वारा जनता की सेवा करना ।

उपरोक्त सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अर्थ संचय करना व व्यय करना ।

उपरोक्त उद्देश्यों में रत अन्य संस्थाओं की सहायता करना ।

संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के निमित्त जनता से चन्दा उपहार या अन्य कोई वस्तु चल एवं अचल सम्पत्ति भेंट स्वरूप ग्रहण करना । यदि संस्था किसी विशेष व्यक्ति से चिट्ठा चन्दा अथवा उपहार द्वारा किसी विशेष प्रकार की सहायता प्राप्त करेगी तो वह रकम या वस्तु उसी उद्देश्य की पूर्ति में व्यय करेगी ।

यदि किसी कारणवश ऐसी रकम विशेष उद्देश्य हेतु खर्च न की जा सके तो कार्य समिति की सहमति से अन्य कार्य में भी व्यय की जा सकती है ।

अगर किसी समय ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिससे संस्था बन्द कर देनी पड़े तो वेतन भोक्ता कर्मचारी अथवा इसी प्रकार के अन्य लेनदार आदि के पावने को चुका देने के पश्चात जो सम्पत्ति अथवा राशि शेष रहेगी उसे इस संस्था के समान या इससे मिलते-जुलते उद्देश्यों वाली संस्थाओं को भेंट कर दी जाएगी

संस्था को बन्द करने एवं भेंट सम्बन्धी निश्चिय इस विषय पर बुलाई गई विशेष साधारण सभा की बैठक में उपस्थित जनमत के ३।४ (तीन चौथाई) के बहुमत से निश्चय किया जाएगा ।

यदि सभा इस विषय पर निर्णय करने में असफल सिद्ध होगी तो अदालत द्वारा कार्य सम्पादित किया जा सकेगा ।

५) परिभाषा:--

(क) अवन्तिका का अर्थ संस्था से है तथा संस्था का अर्थ अवन्तिका से ।

(ख) सदस्य का अर्थ संस्था के सदस्यों से है ।

(ग) कार्यकारिणी समिति का अर्थ संस्था की कार्य समिति से है जो विधानानुसार अनुगठित हुई है ।

(घ) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, संयुक्त-मंत्री, एवं कोषाध्यक्ष का अर्थ संस्था के उन पदाधिकारियों से है जो कि उस समय पदस्थ हों ।

(ड०) हिसाब परीक्षक का अर्थ संस्था के उस हिसाब परीक्षक से है जिसे अंकेक्षण के लिए साधारण सभा ने नियुक्त किया हो ।

(च) वार्षिक साधारण सभा, विशेष साधारण सभा का अर्थ संस्था की उन सभाओं से है जो इसके विधानानुसार बुलाई गई हों । समिति का अर्थ कार्य समिति से होगा ।

(छ) प्रस्ताव का अर्थ उस प्रस्ताव से है जो कि संस्था द्वारा स्वीकृत किया गया हो ।

(ज) मुहर का अर्थ संस्था की मुहर (स्टाम्प) से है ।

(झ) वर्ष का अर्थ संस्था के आर्थिक वर्ष से है जो कि १ अप्रैल से प्रारम्भ होकर ३१ मार्च को शेष होगा ।

(यं) इस संस्था में व्यवहृत किए जाने वाले एक वचन का बहुवचन।पुलिंग का स्त्रीलिंग और व्यक्ति का अर्थ भी कारपोरेशन से भी होगा, एवं उसका विपरीत भी होगा ।

६) सभासद:--

अवन्तिका के उद्देश्यों को मानने वाले सभी वर्ग के स्त्री पुरुष जिनकी

अवस्था १८ वर्ष से ऊपर हो, एक रुपया प्रवेश शुल्क वार्षिक शुल्क सहित देकर इसके सदस्य हो सकते हैं । शुल्क वार्षिक तथा त्रैमासिक हिसाब से लिया जायेगा ।

(क) संरक्षक - विशिष्ट व्यक्ति कार्य समिति की स्वीकृति पर संरक्षक बनाए जा सकते हैं । इनका कार्यकाल केवल एक वर्ष के लिए ही होगा ।

आजीवन सदस्य:-- अल्पतम ५०१) पांच सौ एक रुपए की वस्तु या नगद सहायता देने वाले सज्जन को कार्य समिति की स्वीकृति पर आजीवन एवं विशेष सदस्य माना जाएगा ।

(ख) साधारण सदस्य:-- कम से कम चौबीस रुपए वार्षिक शुल्क देने वाले सज्जन साधारण सदस्य की श्रेणी में आ सकेंगे ।

(ग) विशेष सदस्य:-- अतिरिक्त ८) आठ रुपया मासिक हिसाब से चन्दा देने वाले साधारण सदस्य, विशेष सदस्य माने जाएंगे ।

विशेष सदस्य तथा आजीवन सदस्य संस्था की गोष्ठियों में तथा अन्य आयोजनों में नि:शुल्क भाग ले सकेंगे । साधारण सदस्य तथा सदस्यों के अतिथिगण गोष्ठियों में कार्य समिति द्वारा निश्चिय शुल्क देकर ही भाग ले सकेंगे ।

७) मताधिकार:--

सभी सदस्यों को मताधिकार का समान अधिकार होगा । साथ ही यह अधिकार उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होगा जिनका बकाया शुल्क कार्य समिति द्वारा निर्धारित तिथि तक संस्था को मिल गया होगा । नए सदस्यों को मताधिकार, सदस्य बनने के छ: महीने बाद होगा ।

८) चुनाव एवं चुनाव पद्धति:--

(१) संस्था का वर्ष समाप्त होने तक या उसके बाद अधिक से अधिक तीन महीने के भीतर वार्षिक साधारण अधिवेशन में संघ के पदाधिकारियों एवं कार्य कारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव कर लिया जाएगा ।

(२) चुनाव की समुचित व्यवस्था करने के लिए प्रति वर्ष चुनाव के पूर्व ही संस्था अपनी कार्य समिति में से पांच सदस्यों की एक सर्वाधिकार सम्पन्न चुनाव संचालन समिति का गठन करेगी जो संस्था की नियमावली को दृष्टिगत रखती हुई कार्य करेगी एवं इस समिति का चुनाव सम्बन्धी निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा । आवश्यकतानुसार चुनाव संचालन समिति के संयोजक इस समिति के अधिवेशन बुलाएंगे । समिति के किसी सदस्य द्वारा लिखित अनुरोध आने पर भी संयोजक अधिवेशन बुलाएंगे, किन्तु उसके ऐसा न करने पर उक्त समिति के किन्हीं दो सदस्यों द्वारा लिखित सूचना देकर अधिवेशन बुलाया जा सकेगा । इस समिति का कोरम तीन सदस्यों से होगा । संगठन के उपरान्त यदि किन्हीं कारणवश समिति की सदस्य संख्या तीन से कम हो जाए तो रिक्त स्थान की पूर्ति संस्था की कार्य कारिणी समिति कर सकेगी ।

(३)(क) चुनाव की सूचना चुनाव तिथि के २१ इक्कीस दिन पूर्व तक मंत्री कार्यालय से सभी सदस्यों को लिखित रूप से भेजेंगे , जिसमें आगामी वर्ष के लिए पदाधिकारि व कार्य कारिणी समिति के सदस्यों के निरिक्त पदों के निर्वाचन के लिए प्रस्ता वित नाम आमंत्रित किए जायेंगे तथा चुनाव साधारण सभा के अधिवेशन के ७ दिन पूर्व ही सम्पन्न होना आवश्यक होगा ।

(ख) प्रस्तावित नामों की लिखित सूचना चुनाव की नियत तिथि के कम से कम १४ दिन पूर्व तक प्रस्तावक व अनुमोदक अपने हस्ताक्षर पूरा पता सहित संस्था के कार्यालय में बन्द लिफाफों में संयोजक, चुनाव संचालन समिति के नाम से भेजेंगे । चुनाव सम्बन्धी प्रस्तावित नामों प्रस्तावकों व अनुमोदकों का प्रस्ताव करते समय संघ के नियमानुसार मत देने का अधिकार होना आवश्यक है । प्रस्तावित व्यक्ति को प्रस्ताव में यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि वे निर्वाचित हो जाने पर प्रस्तावित पद को स्वीकार कर लेंगे ।

(ग) उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत आए हुए प्रस्ताव चुनाव की नियत तिथि के कम से कम ७ दिन पूर्व चुनाव संचालन समिति द्वारा पूर्ण जांच के पश्चात प्रस्तावित सज्जनों को स्वीकृत नामों की सूची भेज दी जाएगी ।

(घ) प्रस्तावित नाम वाले व्यक्ति अगर चाहेंगे तो चुनाव आरम्भ होने के ७२ घंटे पूर्व तक अपना नाम लिखित सूचना द्वारा वापिस ले सकेंगे ।

(ड०) कार्यकारिणी समिति की सदस्यता अथवा पदों में से किसी के लिए प्रस्तावित नाम नहीं आने पर वर्तमान कार्य समिति को अधिकार होगा कि वह अप्रस्तावित स्थानों की पूर्ति करेगी । चुनाव के उपरान्त भी किसी कारण वश कोई पद या सदस्यता स्थान रिक्त हो जाए तो कार्य समिति उसकी पूर्ति करेगी ।

(च) किसी स्थान या स्थानों के लिए निर्धारित संख्या से अधिक नाम प्रस्तावित होने पर बैलेट (गुप्त मत पत्र) द्वारा मत लिए जायेंगे ।

(छ) निर्वाचनफल घोषित होने की अवधि के २४ घण्टे के अन्दर कोई भी उम्मीदवार निर्वाचन में हुई किसी प्रकार की अनियमितता के सम्बन्ध में जिसके कारण उस उम्मीदवार का निर्वाचन फल प्रभावित हुआ हो, चुनाव संचालन समिति के विचारार्थ लिखित आवेदन कर सकता है । चुनाव फल की लिखित सू समिति द्वारा ७२ घण्टे के अन्दर संस्था कार्यालय को प्रेषित की जाएगी, जो अन्तिम एवं सर्वमान्य होगी । चुनाव संचालन समिति द्वारा लिखित सूचना प्राप्त होने के पश्चात् ही संस्था द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाएगा ।

(६) कार्य समिति और उसकी कार्य व्यवस्था:--

(क) कार्य समिति पदाधिकारियों को मिलाकर कुल ११ इग्यारह सदस्यों की

होगी उनमें पांच पदाधिकारी निम्नांकित रूप से होंगे :-

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष
मंत्री
संयुक्त मंत्री
कोषाध्यक्ष ।
इनके अलावा ६ सदस्य होंगे ।

(२) साधारण सभा समय समय पर आवश्यकतानुसार इन पदाधिकारियों में परिवर्तन भी कर सकेगी ।
संस्था की कार्य व्यवस्था का भार उसी समय की कार्य समिति के जिम्मे रहेगा, जो कि आवश्यकतानुसार कर्मचारी, अधिकारी, प्रतिनिधि, चपरासी आदि द्वारा करवाएगी और उसकी देखभाल करती रहेगी ।

(३) कार्य समिति प्रति वर्ष साधारण सभा द्वारा गठित की जाएगी एवं जब तक नई कार्यसमिति गठित न हो, तब तक संस्था की वर्तमान कार्य समिति कार्य करती रहेगी । कार्य समिति का कार्यकाल १ अप्रैल से ३१ मार्च तक रहेगा ।

(४) कार्यसमिति का कोरम ३ (तीन) व्यक्तियों का होगा । अगर निर्धारित समय के आधा घण्टा तक कोरम न हो तो वह बैठक आगामी सप्ताह के उसी दिन उसी समय तक के लिए स्थगित समझी जाएगी । स्थगित बैठक में कोरम का कोई बन्धन न होगा ।

(५) कार्य समिति की बैठक की सूचना मंत्री को तीन दिनों पूर्व देनी आवश्यक होगी । आपत्तिकालीन बैठक २४ घण्टें पूर्व की सूचना से भी बुलाई जा सकती है ।

(६) मंत्री कार्य समिति के तीन सदस्यों के सम्मिलित आवेदन पर भी बैठक बुला सकेंगे । यदि मंत्री ७ दिनों के अन्दर आवेदन करने पर भी बैठक नहीं बुलाएं तो आवेदनकारी सदस्य एक सप्ताह की पूर्व सूचना देकर उस विषय पर, जिसकी सूचना मंत्री को दी जा चुकी है, विचार विमर्श करने के हेतु कार्य समिति की बैठक बुला सकते हैं । वह बैठक मान्य होगी ।

(७) कार्य समिति की प्रत्येक बैठक का सभापतित्व संस्था के सभापति अथवा उनकी अनुपस्थिति में उप सभापति करेंगे । परन्तु दोनों की अनुपस्थिति में मंत्री एवं संयुक्त मंत्री को छोड़कर समिति कार्य समिति के किसी सदस्य को तत्कालीन अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है । उसमें प्रस्तावक सभा अनुमोदन आवश्यक हैं ।

(८) कार्यसमिति की बैठक में प्रत्येक विषय जिसकी सूचना सदस्यों को प्रेषित की गई हो, बहुमत से स्वीकार किया जाएगा । परन्तु बराबर मत हो जाने पर सभापति एक और मत (निर्णायक मत) देने के अधिकारी होंगे ।

(९) कार्य समिति के अधिकार व कर्तव्य:--

(क) कार्य समिति के सभी कार्य साधारण सभा के अनुरूप होंगे ।

(ख) कार्य समिति इस संस्था के उद्देश्यों और नियमों द्वारा प्राप्त अधिकारों के अतिरिक्त वह सब कार्य भी कर सकेगी जो इस संस्था के लिए हितकारक हों लेकिन विधान के विरुद्ध न हो ।

(ग) संस्था की बैठक बुलाना, बैठकों का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम उपनियम आदि बनाना ।

(घ) मंत्री द्वारा किए गए कार्यों पर स्वीकृति देना अथवा संशोधन करना ।

(ङ०) सदस्यता अथवा अन्य आवेदन पत्र पर स्वीकृति देना अथवा अस्वीकृति देना व रद्द कर देना ।

(च) आवश्यकता होने पर मंत्री को कोई कर्ज इत्यादि लेने की अनुमति देना ।

(छ) संस्था के आय व्यय एवं हिसाब को सुचारू रूप से तथा उचित ढंग से रखवाने की व्यवस्था करना ।

(ज) आवश्यकता होने पर विभागीय समितियों का गठन करना, विभागीय मंत्रियों की नियुक्ति करना तथा हटाना ।

(झ) संस्था के कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न करने के लिए कार्य समिति नियम उपनियम बना सकेगी ।

(यं) यदि कार्य समिति का कोई सदस्य बिना अनुमति के लगातार चार बैठकों में उपस्थित नहीं हो तो उसका स्थान स्वत: रिक्त समझा जाएगा । उस रिक्त स्थान की पूर्ति समिति से आगामी चुनाव तक के लिए करेगी ।

(१०) अध्यक्ष और उनके कार्य:--

अध्यक्ष संस्था के मुख्य पदाधिकारी होंगे । साधारण सभा तथा कार्य समिति की बैठक का सभापतित्व करना तथा उसका संचालन ही इनका मुख्य कार्य होगा । यदि किसी प्रकार का विवाद बैठक में उपस्थित हो जाए और उसमें मत लेने की आवश्यकता आ पड़े तो अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देंगे ।

संस्था के विधान का उचित प्रतिपादन करना तथा किसी शंका का सही अर्थ बताकर सदस्यों को सन्तुष्ट करना, यह उनका आवश्यक कार्य होगा ।

(११) उपाध्यक्ष और उनके कार्य:--

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्य का दायित्व उपाध्यक्ष पर होगा । इसके अतिरिक्त मंत्री के कार्यों का अवलोकन करना तथा कार्यालय प्रबन्ध ही इनका मुख्य कार्य होगा ।

(१२) मंत्री:--

मंत्री संस्था का एक प्रमुख उत्तरदायित्वपूर्ण पदाधिकारी माने जायेंगे । इनके निम्नलिखित कार्य होंगे:-

(क) कार्य समिति अथवा साधारण सभा के सभी प्रस्तावों का कार्य रूप में सम्पादन करना ।

(ख) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति का उचित प्रबन्ध करते रहना ।

(ग) वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना, छुट्टी देना अथवा संस्था के कार्य से पृथक करना ।

(घ) आय-व्यय का हिसाब रखना और कार्य समिति में स्वीकृत कराते रहना तथा खर्च करने की अनुमति प्राप्त कर लेना ।

(ङ०) कार्य समिति अथवा साधारण सभा में मंत्री को अधिकार होगा कि यदि वह आवश्यक समझे तो अन्य कार्यकर्ताओं को भी निमंत्रित कर सकते हैं, जिनसे संस्था का हित हो ।

(च) पचास रुपए तक वह अपने विशेषाधिकार से व्यय कर सकते हैं ।

(छ) संस्था की ओर से सब व्यवहार एवं प्रतिनिधित्व करना परन्तु ऐसे अवसर को छोड़कर जब कि साधारण सभा या कार्य समिति ने स्वयं कोई प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया हो ।

(ज) रसीद भाऊचर तथा अन्य कागजात आदि पर हस्ताक्षर करना ।

(झ) वार्षिक विवरण तैयार करना एवं साधारण सभा के समक्ष उपस्थित करना ।

(ङ०) संस्था के बही खाते को लिखाना, हिसाब परीक्षक से वार्षिक चुनाव के पहले जंचवा कर उपस्थित करना ।

(१३) संयुक्त मंत्री:--

मंत्री को उनके कार्यों में सहायता करना एवं मंत्री की अनुपस्थिति में उनका कार्य करना ।

(१४) कोषाध्यक्ष और उनके कार्य:-

(अ) संस्था के दैनिक लेन-देन के लिए १००(सौ रुपए)तक अपने पास रखना तथा आय-व्यय का ठीक ठीक हिसाब रखना ।

(ब) मंत्री द्वारा स्वीकृत बिल का भुगतान करना ।

(स) सौ रुपए से अधिक कोष होने पर निश्चित बैंक में रखना ।तथा उसका विवरण तैयार करते रहना ।

(१५) हिसाब परीक्षक और उनके कार्य:--

हिसाब परीक्षक साधारण सभा द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही होगा । हिसाब परीक्षक का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, हिसाब परीक्षक का कार्य संस्था के आय व्यय के हिसाब की जाँच करना तथा उस पर अपनी रिपोर्ट देना होगा । यदि साल के बीच में यह पद किसी कारणवश रिक्त हो जाए तो कार्य समिति इस पद की पूर्ति करेगी ।

(१६) बैंक खाता:--

संस्था के कोष को सुरक्षित रखने के लिए तथा लेन-देन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कार्य समिति के निश्चयानुसार किसी भी प्रमाणित बैंक में संस्था के नाम से खाता खोला जा सकता है । संस्था के निम्नांकित पदाधिकारियों में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से खाते के रुपयों का लेन-देन तथा बैंक सम्बन्धी सभी कार्य स्वीकृत समझे जाएंगे ।

१ - सभापति, २ - मंत्री, ३ - कोषाध्यक्ष ।

कार्य समिति का आदेश प्राप्त कर संस्था के नाम से किसी विशेष अवसर पर एक ही बैंक में कई खाते या विभिन्न बैंकों में विभिन्न खाते खोले जा सकते हैं । परन्तु एक उद्देश्य के खाते की रकम बिना कार्य समिति की अनुमति के दूसरे खाते में परिवर्तन नहीं की जा सकेगी ।

(१७) वार्षिक साधारण सभा:--

(अ) संस्था के आर्थिक वर्ष की समाप्ति के तीन महीने के भीतर वार्षिक साधारण सभा कार्य समिति के निश्चिय अनुसार निश्चित स्थान और समय पर निमंत्रित की जाएगी, यदि निर्धारित समय के ३० मिनट बाद तक कोरम पूरा न हुआ तो उपस्थित सदस्य उस बैठक को आगामी सप्ताह के उसी दिन उसी समय तक के लिए स्थगित कर सकेंगे । कोरम साधारण सदस्य संख्या के एक चौथाई का होगा । स्थगित बैठक में कोरम का बन्धन न होगा ।

(ब) वार्षिक साधारण सभा की सूचना मंत्री द्वारा दस दिन पूर्व देना आवश्यक होगा ।

(स) वार्षिक सभा में निम्न कार्य मुख्य होगा, शेष विचारणीय विषय की सूचना प्रेषित पत्र पर अंकित होगी ।

(१) गत वर्ष के कार्यों की रिपोर्ट ।

(२) हिसाब परीक्षक द्वारा स्वीकृत हिसाब

(३) आगामी वर्ष के लिए निर्वाचित पदाधिकारी व कार्य समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा ।

(४) हिसाब परीक्षक का चुनाव ।

(५) उपस्थित प्रस्ताव, सभापति की अनुमति से ।

(१८) विशेष साधारण सभा:--

(क) यह सभा संस्था के आवश्यक कार्यों के लिए कार्य समिति के निश्चयानुसार समय समय पर स्थान व समय की सूचना अनुसार बुलाई जा सकेगी । इसकी सूचना सदस्यों को ४८ घण्टे पूर्व देना आवश्यक है ।

(ख) वार्षिक साधारण सभा के अतिरिक्त शेष सभी साधारण सभा को विशेष साधारण सभा सम्बोधित किया जाएगा । इस सभा में निश्चित विषय के अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर विचार न होगा । इसके सभी नियम आदि वार्षिक साधारण सभा के ही अनुरूप होंगे ।

(१९) रिक्वीजीशन साधारण सभा :--

(अ) सात अथवा इससे अधिक सदस्यों के संयुक्त आवेदन पर मंत्री २१ दिन के अन्दर रिक्वीजीशन सभा की बैठक बुलाएंगे । इसका भी स्थान तथा समय समिति द्वारा निश्चित किया जाएगा । यदि आवेदन प्राप्त होने के २१ दिन के अन्दर मंत्री बैठक नहीं बुलाते तो आवेदनकर्ताओं को उपयुक्त नियमानुसार २१ दिन के अन्दर बैठक बुलाने का अधिकार होगा । इस तरह से आवेदनकर्ताओं द्वारा बुलाई गई सभा को मान्य समझा जाएगा और स्वीकृत किए गए प्रस्ताव संस्था पर लागू होंगे । उपरोक्त सभा की सूचना संस्था के सभी सदस्यों को वाहक द्वारा अथवा डाक द्वारा भेज दी जाएगी । किसी सदस्य को सूचना न मिलने पर सभा अमान्य न समझी जाएगी । उपयुक्त सभा का कोरम साधारण सदस्य संख्या का एक तिहाई होगा । कोरम के अभाव में सभा स्थगित न होकर बरखास्त हो जाएगी ।

(ब) रिक्वीजीशन सभा, साधारण सभा, वार्षिक साधारण सभा में संस्था के अध्यक्ष सभापतित्व करेंगे । उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यह स्थान ग्रहण करेंगे । यदि दोनों ही पदाधिकारी उपस्थित नहीं हैं तो मंत्री, संयुक्त मंत्री तथा आवेदन कर्ताओं को छोड़कर सभा में आए हुए अन्य किसी सदस्य को स्थानापन्न अध्यक्ष चुना जाएगा ।

(स) प्रत्येक सभा में सदस्य स्वयं एक मत देने के अधिकारी होंगे । दोनों पक्ष के समान मत होने पर सभापति निर्णायक मत देने के अधिकारी होंगे ।

(२०) सूचना :--

संविधान की धारा, उपधारा अथवा धारा के अनुबन्ध में किसी प्रकार का परिवर्तन परिवर्द्धन एवं परिशोधन करने का सम्पूर्ण अधिकार साधारण सदस्यों को ही होगा, यह कार्य सभाधिकारी सदस्य ही कर सकते हैं तथा दो तिहाई बहुमत प्राप्त कर लेने से ही सम्भव है । विधान संशोधन के लिए बुलाई जाने वाली बैठक की सूचना निर्धारित तिथि के दस दिनों पूर्व भेज दी जाएगी । इसका कोरम साधारण सदस्य संख्या के एक तिहाई सदस्यों का होगा । स्थगित बैठक भी ११ सदस्यों से ही मान्य समझी जाएगी ।

२१) कानूनी कार्यवाही :--

इस तरह की सभी कार्यवाही संस्था के नाम से ही जाएगी । कानूनी पत्र व्यवहार, वकालतनामा, पिटीशन, वारण्ट आदि पर संस्था की ओर से मंत्री का संयुक्त मन्त्री संस्था का प्रतिनिधित्व करेंगे । सभी तरह के कागजों पर वे अपने हस्ताक्षर कर सकेंगे और कार्यकारिणी से सलाह लेते रहेंगे । रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इस विधान में अगर कुछ संशोधन करना पड़े तो उसे कार्य समिति कर सकती है ।

(२२) विशेष :--

सभी प्रकार के सदस्यों का शुल्क आदि वर्ष समाप्ति के बाद चुनाव की निर्धारित तिथि के दस दिन पूर्व तक अगर नहीं आ जाएगा तो समिति को अधिकार होगा कि वह उन्हें सदस्यता से वंचित कर दे ।

विशेष सदस्यों का शुल्क वर्ष समाप्ति के १५ दिन के अन्दर नहीं आने पर कार्य समिति को यह अधिकार होगा कि वह उन्हें विशेष सदस्यता से वंचित कर दे । अतिरिक्त शुल्क तथा बकाया शुल्क देकर ही पुनः विशेष सदस्य बन सकेंगे ।

(२३) संस्था की बैठकों में व्यक्तिगत आक्षेप न कर उपस्थित सज्जन शिष्ट भाषा का ही प्रयोग करेंगे । बैठकों में सभापति का आदेश ही सर्वमान्य होगा । सभापति की आज्ञा का उल्लंघन करने पर उस सदस्य को अगली तीन बैठकों में मत देने के अधिकार से वंचित किया जा सकेगा ।